

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रपत्र -अ

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम **वैशाली विद्या पीठ शिक्षण समिति, कोरा**
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) **हिमांशु शर्मा**
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. **657-मी तलवाड़ी, कोरा (श.प.) 8107790505**
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य **प्रत्येक वर्ष के छात्रों को प्रशिक्षण देना।**
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) **बिबेकानन्द नगर, एगोर नगर, नशागाँव**
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) **5000 म²**
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) **पूर्व में दिया गया**
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र **पूर्व में दिया गया**
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन **पूर्व में दिया गया**
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट **संलग्न है।**
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। **पूर्व में दिया गया।**
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) **पूर्व में दिया गया।**
 - vi. रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्वन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिसाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। **पूर्व में दिया गया।**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 21/7/2020

स्थान : **Kota**

नाम व पद **हिमांशु शर्मा**
सचिव, वैशाली विद्या पीठ
राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

वैशाली विद्यापीठ शिक्षण समिति
अध्यक्ष
सचिव
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत परिशिष्ट-1' निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	दिमांशु राशत
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	विश्वनान्द नगर, टोपडा नगर, नारागाव
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	2/06/1997 व 11/कोटा/1982-88
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	शिक्षण कार्य
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

33

वंशाली विद्यापीठ शिक्षा समिति

अध्यक्ष

अतिथि

कोषाध्यक्ष